116

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : अपील–कटनी/भू0रा0/2019/254 विरूद्ध- आदेश दिनांक 25–9–2014 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 426/2017–18 अपील

सुखेन्द्र कोल बल्द छोटेलाल कोल
ग्राम धनवाही तहसील मैहर
जिला सतना, मध्य प्रदेश ——अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर कटनी ——रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(रिस्पाण्डेन्ट के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 12-04-2019 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्र0 क0 426/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–9–2018 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर कटनी को म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम बिचपुरा पटवारी हलका नंबर 12 तहसील बरही जिला कटनी में उसके नाम खसरा नंबर 1080/2, 1081, 1085/2, 1094, 1100, 1113 कुल किता 6 कुल रकबा 8-09 हैक्टर भूमि है जो भूमिस्वामित्व की है। इन भूमियों का अधिकतम भाग उबड़ खावड़ एंव पथरीला है भूमि कृषि योग्य नहीं है , जिसके कारण वह भूमि विकय करना

चाहता है । इन भूमियों को विक्रय करने के वाद भी उसके पास ग्राम बेरमा तहसील मेहर में लगभग 9 एकड़ भूमि शेष बचेगी , विक्रय धन से इन भूमियों को कृषि योग्य बनायेगा, इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला कटनी ने प्र0क्र0 19 अ 21/2016-17 पॅजीबद्ध किया तथा तहसीलदार कटनी से जांच कराकर आदेश दिनांक 28-3-17 पारित किया एंव अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 426/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–9–2018 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि कलेक्टर कटनी ने अपीलांट व्दारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को जॉच हेतु तहसीलदार कटनी को भेजा है तहसीलदार कटनी ने अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच की है एंव जांचोपरांत प्रतिवेदन दिनांक 10-7-15 प्रस्तुत किया है। इस जांच प्रतिवेदन का पद 3 इस प्रकार है :-

> **आवेदक सुखेन्द्र कोल कृषि कार्य करता है। प्रस्तावित भूमि पड़ती भूमि है। विक्रय की जा रही भूमि आवेदक की कय की गई भूमि है। शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि नहीं है । आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास ग्राम बेरमा प.ह.कुसेड़ी तहसील मैहर जिला सतना स्थित भूमि ख.नं. 145/2, 256, 298, 300, 301 कुल 3-40 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। उक्त भूमि**

विक्रय पश्चात् आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा। शेष बची जमीन आवेदक के परिवार के जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त होगी।

अतः आवेदक सुखेन्द्र कोल बल्द छोटेलाल कोल निवासी धनवाही तहसील मैहर जिला सतना द्वारा ग्राम बिचपुरा स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1080/2, 1081, 1085/2, 1094, 1100, 1113 कुल किता 6 कुल रकबा 8-09 हैक्टर की विक्रय अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अनुविभागीय अधिकारी बिजयराघवगढ़/बरही द्वारा भी जांच प्रतिवेदन दिनांक 31-1-17 इस अभिमत के साथ कलेक्टर कटनी को प्रस्तुत किया है जिसके पद 3 का उद्धरण इस प्रकार है :-

उक्त भूमि पड़ती है आवेदक की भूमिस्वामी हक की है शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है। विकय के पश्चात् आवेदक के नाम ग्राम बेरमा तहसील मेहर में 3-40 है. जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता जो जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त है जिसे विक्रय की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित किया है।

तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के उक्तानुसार जांच प्रतिवेदनों में दिये गये अभिमत अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की गई है । अपीलांट यदि उक्तानुसार भूमि विक्रय करता है वह भूमिहीन भी नहीं होगा एंव विक्रय की जाने वाला भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर अपीलांट द्वारा विक्रय पत्रों के आधार पर क्रय की गई अर्थात स्वअर्जित भूमि है जो शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। स्वअर्जन के आधार पर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व का अभिलिखित भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र माना गया है, जिसके कारण अपीलांट को ग्राम बिचपुरा पटवारी हलका नंबर 12 तहसील बरही जिला कटनी में स्थित उसके नाम की भूमि खसरा नंबर 1080/2, 1081, 1085/2, 1094, 1100, 1113 कुल किता 6 कुल रकबा 8-09 हैक्टर के विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन

नहीं है , किन्तु कलेक्टर कटनी ने उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदनों में आये तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 19 अ 21/2016717 में पारित आदेश दिनांक 28-3-17 एंव कलेक्टर का आदेश वास्तविकता के विपरीत होते हुये भी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 25-9-2018 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 426/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-2018 एंव कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 19 अ 21/2016717 में पारित आदेश दिनांक 28-3-17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट को उसके स्वामित्व की ग्राम बिचपुरा पटवारी हलका नंबर 12 तहसील बरही जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1080/2, 1081, 1085/2, 1094, 1100, 1113 कुल किता 6 कुल रकबा 8-09 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र का संपादन करते समय समाधान कर लेवें कि विक्रय दिनांक को प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्रेता को (यदि अग्रिम देय प्रमाणित हो) समायोजन उपरांत विक्रय धन बैंकिग पद्धति के मान से प्राप्त हो गया है। यह आदेश तीन माह तक प्रभावशी रहेगा।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर